उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 31 आषाढ़, शक संवत्, 1938
(दिनांक : 22 जुलाई, 2016)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)।
3. निधन के निदेश।
4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा "जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में परिवहन निगम द्वारा संचालित दिल्ली-देघाट एवं देघाट-देहरादून बस सेवाओं को घट्गाड़ तक संचालित किये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती नीमा बंगारी, सदस्य जिला पंचायत अल्मोडा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
6. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा "जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा स्वीकृत हाईटैक शौचालय का कार्य पूर्ण नही किये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती नीमा बंगारी, सदस्य जिला पंचायत अल्मोडा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के कनलगढ घाटी में अवैध शराब की तस्करी को रोकने के सम्बन्ध में" श्रीमती खष्टी गडिया, ग्राम व पो0 बैशानी, तहसील कपकोट एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
8. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के ग्राम पंचायत कर्मी में आपदा को ध्यान में रखते हुए हैलीपेड निर्माण के सम्बन्ध में" श्री बलवन्त सिंह कर्म्याल, ग्राम व पो0 कर्मी- मल्लादानपुर, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के रा0उ0मा0 विद्यालय लीती का उच्चीकरण कर इण्टर स्तर पर विज्ञान वर्ग की मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में" श्री खड़क सिंह कोरंगा, ग्राम व पो0 लीती, कपकोट जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के रा0उ0मा0 विद्यालय लीती में अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में" श्री आनन्द प्रकाश, ग्राम व पो0 लीती, कपकोट जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कपकोट को पी0पी0पी0 मोड से हटाये जाने के सम्बन्ध में" श्री गोविन्द सिंह ऐठानी, ग्राम बडेत पो0 भराडी, तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के ग्राम पंचायत बैशानी के तोक किमुवाबगड मल्ली बैशानी में कनलगड नदी में पुल की स्वीकृति चाहने के सम्बन्ध में" श्री हरीश जोशी, ग्राम बैशानी कपकोट जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल रैथल में संयुक्त शिक्षा का प्राविधान करवाये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती सरस्वती शाही, ग्राम व पो0 असों, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में हाईड्रो पम्प लिफ्ट योजना स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में" श्री थान सिंह, ग्राम काण्डे पो0 स्यालडोबा, कपकोट जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

15. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में पर्यटक आवास गृह/गेस्ट हाऊस स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में" श्री नन्दन सिंह कन्याल, ग्राम काण्डे पो0 स्यालडोबा, कपकोट जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

16. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

17. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

18. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

19. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

20. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2016 को पुरःस्थापित करेंगे।

21. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड कूड़ा फैंकना एवं थूकना प्रतिषेध विधेयक 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

22. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड कूड़ा फैंकना एवं थूकना प्रतिषेध विधेयक 2016 को पुरःस्थापित करेंगे।

23. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"ग"**)

24. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

25. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय विधेयक 2016 पर विचार किया जाय। **(30 मिनट)**

26. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय विधेयक 2016 पारित किया जाय।

27. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय विधेयक 2016 पर विचार किया जाय। **(30 मिनट)**

28. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय विधेयक 2016 पारित किया जाय।

29. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड बेनामी लेन-देन (प्रतिषेध) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(30 मिनट)**

30. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड बेनामी लेन-देन (प्रतिषेध) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

31. शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

32. शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2016पारित किया जाय।

33. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

34. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2016 पारित किया जाय।

35. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

36. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

37. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(30 मिनट)**

38. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

39. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, पूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

"इस माननीय सदन की सर्व-सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।"

40. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

"यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति "यमुना स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के कियान्वयन के लिये "गंगा विकास प्राधिकरण" की भांति "यमुना विकास प्राधिकरण" का गठन भी किया जाय।" **(15 मिनट)**

41. श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में बन्दरों की जनसंख्या को कम करने के लिए एक अलग से नीति बनायी जायें।" **(15 मिनट)**

42. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी नीति हेतु इस सदन की समिति बनायी जाये।" **(15 मिनट)**

43. श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड के विकेन्द्रीयकृत विकास हेतु संविधान के अनुच्छेद 243 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये।" **(15 मिनट)**

44. श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी पर चर्चा जारी :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में टनकपुर स्थित 'मां पूर्णागिरी धाम' हेतु राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं प्रदेश की राजधानी देहरादून से रेलवे लाईन का निर्माण, क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति एवं जन सामान्य के हित में तथा पर्यटन के दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।"**(15 मिनट)**

45. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।"(15 **मिनट)**

46. श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में विकास खण्डों की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, विकास खण्डों के पुनर्गठन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।"(15 **मिनट)**

47. श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रकिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।" (15 **मिनट)**

48. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"राज्य में नगर निगम व नगर पालिका, नगर पंचायतों के कार्यो के संचालन हेतु संयुक्त रूप से सम्बन्धित निकायों के अधिकारियों/ मेयर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्यों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाय।" (15 **मिनट)**

49. श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ना का उचित मूल्य एंव गन्ना मूल्य के समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिये विधान सभा के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाय, जो एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट देगी।" (15 **मिनट)**

50. श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में औद्योगिक आस्थानों में छोटे-छोटे उद्योगों को आवंटित भूमि निर्धारित शर्तो पर लीज में दी गयी थी, को फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दिया जाय।" (15 **मिनट)**

51. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि मध्याह्न भोजन में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए, इस योजना के स्थान पर किसी अन्य योजना को लागू करने पर विचार करें। " (15 **मिनट)**

52. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

"जनपद देहरादून के पछ्वादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षो से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।" **(30 मिनट)**

53. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।" **(30 मिनट)**

54. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, पूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

"उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।"

55. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, पूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

"राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियां बसी हुयी हैं, जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण पत्र नही है, जिस पर उन्होने अपने रिहायशी मकान बनाये हैं।

ये आवासीय ईकाईयां अस्थायी, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी तीनों संरचनाओं में हैं। ये बस्तियां नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुयी हैं।

कुछ नगर निकायों में ऐसी बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है, में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्यवाही नही की गयी है।

इन बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएं अस्थायी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी है, परन्तु स्वच्छता की दृष्टि से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां के निवासियों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की पूर्ण व्यवस्था है।

इन बस्तियों की बसावट आपदा के समय राहत पहुंचाने की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है।

इन बस्तियों के निवासी समाज को मजदूर तथा सेमी स्किल्ड मजदूर के रूप में, अत्यधिक छोटे व्यापारी तथा व्यवसायियों के रूप में अति आवश्यक सेवा प्रदान करते है। घरेलू सहायकों के रूप में इनका योगदान है।

सामाजिक संरचना में इस सर्विस सेक्टर के योगदान तथा आवश्यकता को देखते हुए यह समाज के हित में है कि इन मलिन बस्ती वासियों को सुरक्षित स्वच्छ आवासीय सुविधा प्रदान करने की नीति प्रख्यापित की जाय।"

56. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

"प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में आपदा की स्थिति से निपटने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाय जो निश्चित समय के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।" **(30 मिनट)**

57. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

"प्रदेश में आयी भीषण आपदा के बाद प्रदेश की चार धाम यात्रा में घटती यात्रियों की संख्या एवं पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के घटते आकर्षण के दृष्टिगत प्रदेश में यात्रियों को आकर्षित करने तथा देश की जनता का प्रदेश के प्रति घटते विश्वास को प्राप्त करने के लिये एक कार्ययोजना बनायी जाय।" **(30 मिनट)**

58. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

"प्रदेश के धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रदेश में किसी धार्मिक उद्देश्य से बनाये गये ट्रस्ट/सोसाईटी अथवा समिति द्वारा चलाये जा रहे मठ/मन्दिर/आश्रम पर राज्य सरकार द्वारा पानी/बिजली/सीवरेज/हाउस टैक्स आदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाय।" **(30 मिनट)**

59. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

60. जनपद ऊधमसिंह नगर, जिला मुख्यालय रूद्रपुर के राजस्व ग्राम जगतपुरा के अन्तर्गत राजकीय उद्यान फार्म व 31वीं वाहिनी पी0ए0सी0 के मध्य स्थित सड़क सम्पर्क मार्ग पुनः खुलवाने के संबंध में श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

61. प्रदेश में आन्दोलनकारियों एवं आश्रितों को आरक्षण दिये जाने के संबंध में श्री पूरन सिंह फर्त्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

62. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत लक्ष्मणझूला-कांडी-दुगड्डा मोटर मार्ग की गुणवत्ता एवं निर्माण में विलम्ब के संबंध में श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2016 को दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

63. विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर के अन्तर्गत प्रमुख सड़क सम्पर्क मार्गो के निर्माण के संबंध में श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2016 को दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

देहरादून :
दिनांक : 21 जुलाई, 2016

प्रथम सत्र, 2016
का तृतीय शुक्रवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

शुक्रवार, 31 आषाढ़, शक संवत्, 1937

(दिनांक : 22 शुक्रवार, 2016)

नत्थी–''क''

अल्पसूचित प्रश्न

श्री यतीश्वरानन्द
17.06.2016

**क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत बनाये गये उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की सेवा–शर्तों के बारे में विनियम 2016 पूर्वगामी तिथि अर्थात 22 मार्च, 2013 से प्रवृत्त किये गये हैं? यदि हां, तो राज्य के विधान मण्डल द्वारा बतायी गयी विधि के प्रभावी होने के दो वर्ष पूर्व से तत्संबंधी विनियम लागू किया जाना विधि सम्मत है? क्या सरकार इस सबंध में न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त कर के सदन को अवगत करायेगी? यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है?

सहकारिता

नत्थी–''ख''

तारांकित प्रश्न

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 10.02.2016	*01. क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिला के सल्ट विधान सभा के अन्तर्गत पीतल आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक आस्थान बनाये जाने की योजना है? यदि हां, तो इस हेतु कहां कहां और कितनी भूमि की व्यवस्था की गयी है एवं वर्तमान समय तक कितने उद्योगों ने इस आस्थान में आवेदन किये हैं अथवा सहमति व्यक्त की है? क्या सरकार तत्संबंधी पूर्ण विवरण देगी? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें स्थानीय लोगों को भी भागीदार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?	औद्योगिक विकास
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 11.02.2016	*2. क्या सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं, तथा उसके सापेक्ष कुल कितने पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पंजीकृत सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? यदि हॉ तो तत्सम्बन्धित पूर्ण विवरण क्या है? यदि नहीं तो क्यों?	सेवायोजन
श्री राजकुमार ठुकराल 17.02.16	*03. क्या वित्त मंत्री अवगत है कि प्रदेश में सर्किल रेट बढ़ाये जाने का क्या मानक है तथा उधमसिंहनगर जिले की कृषि भूमि का सर्किल रेट मौजूदा बाजारी अनुमानित कीमत से लगभग 2 गुना अधिक हैं? क्या सरकार कृषि भूमि के समानान्तर सर्किल रेट करने हेतु कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	वित्त

अतारांकित प्रश्न

श्री यतीश्वरानन्द 05.03.16	1. क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम लालढांग, चमरिया, नया गांव, कटेवड, डालपुरी, समसपुर कटेवड, मिठीबेरी, मंगोलपुरा, गैण्डीखाता, लाहरपुर, आर्यनगर ,आर्यनगर गोट, रसूलपुर, रसूलपुर गोट आदि गांव में काफी लोग निवास करते हैं इनकी जीविका हेतु कृषि के अलावा कोई भी आय का साधन नहीं है? यदि हॉ तो क्या सरकार इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करेगी? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	उद्योग
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 20.02.16	2. क्या प्रशिक्षण मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत खेतीखान में आई0टी0आई0 भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है? यदि हॉ तो क्या सरकार आई0टी0आई0 भवन का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में कराने पर विचार कर रही है? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	प्रशिक्षण

नत्थी-"ग"

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनॉक 21 जुलाई, 2016 की बैठक में दिनॉक 22 जुलाई, 2016 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

जुलाई, 2016

22 शुक्रवार

1. हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 का विचार एवं पारण । **(30 मिनट)**
2. रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 का विचार एवं पारण । **(30 मिनट)**
3. उत्तराखण्ड बेनामी लेन-देन (प्रतिषेध) विधेयक, 2016 का विचार एवं पारण। **(30 मिनट)**
4. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2016 का विचार एवं पारण । **(15 मिनट)**
5. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
6. उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2016 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
7. उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था विधेयक, 2016 का विचार एवं पारण। **(30 मिनट)**

शेष कार्यक्रम यथावत्